छोटू बनाम सरकार

वर्ष 119/2021 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24/?/23	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अ[illegible] है। अतः पत्रा[illegible] 17/11/23 को [illegible]।	
17/11/23	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में ब्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1/1/24 को पेश हों।	
1/1/24	पत्रावली पेश [illegible] पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार [illegible] 12/1/24 [illegible]।	
12/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा अन्य क्रन्डोलेंस किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/3/24 को पेश हो।	
21/3/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। ~~[illegible]~~ तहसीलदार सांगानेर से जवाब प्राप्त नहीं जवाब का अवसर [illegible] प्रार्थी [illegible] अन्तर्गत धारा [illegible] जाता है। विस्तृत निर्णय [illegible] जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 119/2021
निर्णय दिनांक : 21.03.2024

1. छोटूसिंह पुत्र हनुमान सिंह निवासी ग्राम, खातीपुरा उर्फ कपूराबाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. दौलतराम पुत्र भंवर लाल जाति बैरवा, ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०
3. कालूराम गोदारा पुत्र प्रहलाद राम गोदारा निवासी ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. मांगीदेवी पत्नी सत्यनारायण डूडी, निवासी 23 स्टॉफ कोलोनी मानासर चौराहा जिला नागौर राज०

रोडूराम पुत्र नाथ्या ग्राम जयसिंहपुरा बास नेवटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी

प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 5, 1 व 2 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 40 पुराना 43 खसरा नं. 4 व 5 कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर एवं प्रार्थी संख्या 5 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खाता संख्या 5 नया पुराना खाता संख्या 5 खसरा नं. 6 व 7 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण संख्या 1, 3 व 4 के कब्जे, काश्त व खातेदारी की भूमि खाता संख्या 42 नया 45 पुराना खसरा नं. 8, 9 कुल किता 2 कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर एवं प्रार्थी संख्या 1, 2 व 5 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खाता संख्या 150 नया 44 पुराना मय खसरा नम्बर 23, 24, 25 कुल किता 3 कुल रकबा [illegible].70 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 1 के स्वामीत्व की भूमि खाता संख्या [illegible] पुराना खसरा नम्बर 28, 30, 31 कुल किता 3 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 5 के स्वामीत्व की भूमि खाता संख्या 149 नया व 144 पुराना खसरा नम्बर 136, 26 व 27 कुल किता 3 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

रकबा 1.21 हैक्टेयर वाके ग्राम जयसिंहपुरा बास नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा शामिलाती रूप से अपने उपरोक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि का मौके पर सीमा ज्ञान करवाये जाने हेतु अप्रार्थी के समक्ष दिनांक 25.06.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अप्रार्थी द्वारा सीमा ज्ञान बाबत चाही गई राशि जरिये चालान जमा करवाये जाने के उपरान्त मौके पर सीमा ज्ञान करवाये जाने हेतु सीमा ज्ञान आदेश दिनांक 30.06.2021 को जारी किये गये। अप्रार्थी द्वारा सीमा ज्ञान करवाये जाने के आदेश दिनांक 30.06.2021 की अनुपालना में संबंधित पटवार हलका द्वारा दिनांक 07.07.2021 को पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि के मौके पर उपस्थित होकर समस्त गवाहान मौका रिपोर्ट तैयार कर भूमि का सीमा ज्ञान किया गया एवं फर्द मौका रिपोर्ट सीमा ज्ञान दिनांक 07.07. 2021 तैयार किया गया है। प्रार्थीगण सीमा ज्ञान के अनुरूप अपने अपने कब्जे की भूमि पर बतौर खातेदार काबिज होकर भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है किन्तु भूमि के मुताबिक सीमा ज्ञान दिनांक 07.07.2021 के अनुरूप पत्थरगढी के अभाव में मौके पर प्रार्थीगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है व प्रार्थीगण के कब्जे काश्तकार की सम्पति का प्रार्थीगण स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रहे है। इस कारण सीमाज्ञान आदेश दिनांक 30.06.2021 की अनुपालना में किये गये सीमा ज्ञान दिनांक 07.07.2021 के मुताबिक भूमि पर पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर फर्दमौका रिपोर्ट सीमा ज्ञान दिनांक 07.07.2021 के अनुरूप प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को रजिस्टर्ड ऐ0डी0 नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर से जवाब पेश नही होने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया।

पत्रावली में बहस प्रार्थीगण सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर फर्दमौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 07.07.2021 के अनुरूप प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर [illegible] तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण [illegible] ओर से पेश प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो वाके ग्राम जयसिंहपुरा बास नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 की प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सूचित कर, सभी की उपस्थिति में नियमानुसार तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 0707.2021 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:50 IST
Reason: SelfAttested